राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3029/2023

ऋषिकांत शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.10.2023
आदेश की दिनांक : 06.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 01 जुलाई, 2023 को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुये शेष राशि व समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर से दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2023 को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति 30 जून को

होती है तो 01 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले के संबंध में न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया परंतु कोई जवाब नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों को उक्त लाभ से वंचित रखा जाना अनुचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 01 जुलाई, 2023 को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुये शेष राशि व समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार सेवालाभ प्रदान किये जा चुके हैं और किसी भी तरह का कोई शेष राशि बकाया नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर से दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2023 को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया। जबकि वह सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य